उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–02/2014

पंजाब नेशनल बैंक

बनाम्

मेसर्स चास मेटल सेंटर

–: आदेश :–

18.08.2018

मुख्य प्रबंधक–सह–प्राधिकृत पदाधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, ए0आर0एम0बी0, अरगोड़ा, राँची द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत मेसर्स चास मेटल सेंटर प्रो0 श्री संजय शर्मा, जोधाडीह मोड़, चास, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षो को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष पंजाब नेशनल बैंक, ए0आर0एम0बी0, अरगोड़ा, राँची की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति को गिरवी रखते हुए 9,70,00,000/(नौ करोड़ सत्तर लाख) रूपये का बैंक से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–31.03.2012 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि ऋण की वापसी हेतु अनेको बार बैंक से पत्राचार किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क स्थापित कर खाता को नियमित करने का अनुरोध किया गया किन्तु इस संदर्भ बैंक की ओर से कोई ठोस प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण ऋण की राशि वापस नहीं की जा सकी है। बैंक के द्वारा कम्पनी की चालू स्थिति में रहने पर ही u/s–13(4) of SARFAESI ACT–2002 के

अन्तर्गत symbolic Possession Notice निर्गत किया गया जो नियम संगत नहीं था। जिसके विरूद्ध विपक्षी के द्वारा u/s–17(1) of SARFAESI ACT–2002 के अन्तर्गत मान्नीय न्यायालय डी0आर0टी0 में वाद दायर किया गया है जो अभी लंबित है। इस तथ्य को बैंक के द्वारा इस न्यायालय में छिपाया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि उन्होंने बैंक को OTS के माध्यम से ऋण की राशि को भुगतान करने का प्रस्ताव दिया गया है। जिसके विरूद्ध बैंक के द्वारा अब तक प्रस्ताव की स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी सूचना नहीं प्राप्त हुआ है। उनके अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि प्रश्नगत वाद से संबधित वाद मान्नीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में भी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अंतिम आदेश पारित होने तक इस न्यायालय द्वारा भी SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) के अन्तर्गत आदेश नहीं पारित करने का अनुरोध किया गया है।

C. C. Issued Vide No. 4289 Dated 4/10/18

दोनो पक्षों की दलील, अभिलेख एवं उसमें संधारित कागजातों से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई ठोस आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। जहाँ तक मान्नीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची एवं डी0आर0टी0, रांची में वाद के लंबित रहने की बात है, वह इस न्यायालय के SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) से कोई संबंध नहीं रखता है और न ही दोनों न्यायालयों द्वारा प्रश्नगत वाद में आगे की कार्रवाई न करने का कोई stay order ही अद्योहस्ताक्षरी को प्राप्त है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, ए0आर0ए0म0बी0, अरगोड़ा, राँची द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें ।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

17-08-18

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.10 16:55:59 +05:30
Location: 192.168.1.101